रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1247] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 2017/वैशाख 14, 1939
No. 1247] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2017/VAISAKHA 14, 1939

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017

का.आ. 1410(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है), भारत में विद्युत यानों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम-इंडिया) स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के अधीन हाईब्रिड और विद्युत यानों के क्रय के लिए उपभोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन की केन्द्रीय सेक्टर्स स्कीम प्रशासित कर रहा है;

और स्कीम के अधीन मांग प्रोत्साहन (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदे कहा गया है), हाईबिड या विद्युत यानों के क्रय पर रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों द्वारा ग्राहकों (जिसे इसमें इसके पश्चात् हिताधिकारी कहा गया है) को प्रदान किया जाता है और व्यौहारी अपने मासिक दावे अपने-अपने मूल उपकरण विनिर्माताओं को प्रस्तुत करते हैं जो बाद में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है), के माध्यम से विभाग को अपने दावे प्रस्तुत करते हैं;

और पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति को अपने पास आधार नंम्बर होने का प्रमाण प्रस्तुत करना या आधार सत्यापन करवाना अपेक्षित है।

(2) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार नम्बर नहीं है अथवा उसने अब तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा बशर्ते वह व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 के परंतुकों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए पात्र हो तथा ऐसे व्यक्ति आधार हेतु नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के नियम 12 के अनुसार, विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन हिताधिकारियों, जिन्होंने आधार के लिए अब तक नामांकन नहीं करवाया है, के लिए आधार नामांकन सुविधाएं देना आवश्यक है तथा संबंधित ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील में आधार नामांकन केन्द्र स्थित न होने की स्थिति में, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से विद्यमान यूआईडीएआई रजिस्ट्रार के साथ समन्वय से अथवा विभाग द्वारा स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करें।

परन्तु कि उस व्यक्ति को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक, इस स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्ति को फायदे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए दिए जाएंगे, अर्थात्

क) (i) यदि उस व्यक्ति ने आधार हेतु नामांकन करवा लिया है, तो आधार नामांकन आईडी स्लिप; या

(ii) आधार के लिए नामांकन हेतु किए गए उसके अनुरोध की एक प्रति, जैसा नीचे पैरा 2के उप-पैरा (2)में विनिर्दिष्ट है;

ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक अथवा डाकघर पासबुक; अथवा (ii) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान प्रमाण पत्र; अथवा (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; (iv) पासपोर्ट; अथवा या (v) मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी की गई चालन अनुज्ञप्ति; अथवा (vi) राशन कार्ड; अथवा (vii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्ड; अथवा (viii) किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा अपने पत्र शीर्ष पर जारी किया गया ऐसे सदस्य का फोटो सहित पहचान प्रमाण-पत्र; अथवा (ix) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु यह भी कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से नामित अधिकारी द्वारा उस प्रयोजनार्थ की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन हिताधिकारियों को सुविधाजनक तथा बाधा रहित फायदे प्रदान करने के लिए, यह विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण अथवा सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:-

(1) हिताधिकारियों को इस स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया तथा व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा तथा यदि उन्होंने अभी तक अपना नामांकन नहीं करवाया है, तो उन्हें 30 जून, 2017 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्र पर अपने-आप को नामांकित करवाने की सलाह दी जा सकेगी। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी।

(2) यदि फायदाग्राही, ब्लॉक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केन्द्रों की अनुपलभ्यता के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ है, मंत्रालय से अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से अपेक्षा की जाती है कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं सृजित करें और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जाए कि वे मंत्रालय के पदाभिहित अधिकारी के पास या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे देकर आधार नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर करें।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 7(22)/2016-एनएबी-II (ऑटो)]

भास्कर ज्योति महंता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2017

S.O. 1410(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, in the Government of India, the Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises (hereinafter referred to as the Ministry), the Department of Heavy Industry is administering the Central Sector Scheme of incentive to the consumers for purchase of Hybrid & Electrical Vehicles under the Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electrical Vehicles in India (FAME-India) Scheme (hereinafter referred to as the Scheme);

And whereas, under the Scheme, demand incentive (hereinafter referred to as benefit) is provided to the customers (hereinafter referred to as beneficiaries) by the registered dealers on purchase of Hybrid or Electric Vehicles and the dealers submit their claims monthly to their respective Original Equipment Manufacturers who in turn submit their claims to the Department through National Automotive Board (NAB) (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely;

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing receiving benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017 in case he or she is entitled to obtain Adhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by Department itself becoming Unique Identification Authority of India Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Bank passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter ID Card issued by the Election Commission of India ; or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Card or (viii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (ix) Any other documents as specified by the Department;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Department through its Implementing Agency or Society of Indian Automobile Manufacturers shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies are required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated official of the Ministry or through the web portal provide for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories Administrations except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu & Kashmir.

[F. No. 7(22)/2016-NAB-II(Auto)]

BHASKAR J. MAHANTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.05.05 15:44:29 +05'30'